


न्यायालय :- श्रीमान् राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

77

प्र.क्र :-

पेशी दिनांक :- 23-9-2015



सुबोध कुमार अग्रवाल बल्द हुकुम चंद्र अग्रवाल पेशा शेयर ब्रोद.
फुटेरा वार्ड नं.-2 दमोह

.....आवेदक / पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

निगा / 3369 / II / 15

म0प्र0 शासन

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 मू राजस्व संहिता।

यह कि पुनरीक्षणकर्ता यह पुनरीक्षण न्यायालय श्रीमान् अति0 आयुक्त महोदय सागर के प्रकरण संख्या 284 अ 6/14-15 दिनांक 14/09/2015 को पारित आदेश से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण अन्य आधारों के अलावा निम्नलिखित मुख्य आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है।

मामले के तथ्य :- मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पुनरीक्षणकर्ता ने एक नामांतरण आवेदन श्रीमान् सहायक अधीक्षक नजूल (नवकरण) दमोह के राजस्व प्रकरण क्र. 16 अ/6/वर्ष 2010-11 पक्षकार सुबोध अग्रवाल विरुद्ध म0प्र0 शासन के द्वारा सेल की गई संपत्ति सचिव पुर्नवास विभाग भोपाल के पुर्नवास अधि0 1954 (THE DISPLACES PERSONS (COMPEN SATION AND REHABLATION) act 1954 act no. 44 OF 1954 के रूल 90 (5) एवं रूल 91 (8) के तहत संपत्ति को क्रय करने के पश्चात् नामांतरण आवेदन प्रस्तुत करने पर रिकार्ड को सुधार न करने पर की गलती से व्यथित होकर यह निगरानी पेश है।

अ. यह कि माननीय भारत सरकार द्वारा 1956 से 1970 तक भारत वर्ष में सभी स्थानों पर शरणार्थियों को व्यवसाय हेतु सेल प्रमाण पत्र जारी कर दुकाने नीलामी के तहत विक्रय की थी। उसी संदर्भ में दमोह स्थित वाराहारी सिविल वार्ड नं.-2 दमोह की सीट नं. 42 प्लॉट नं. 214 (1) में मेनेजिंग आफिसर इंदौर द्वारा 50 कोठो का नक्शा स्वीकृत कर विक्रय प्रमाण पत्र जारी किए थे। जो कि दस्तावेज क्र. 1 दिनांक 04/04/1958 है।

ब. यह कि शासन को सेल प्रमाण पत्र 90 (5) एवं 91(8) THE DISPECES PERSONS COMPEN SION AND REHABILATIN ACT 1954 ACT NO 44 OF 1954 के तहत जारी सेल प्रमाण पत्र के पश्चात् नजूल खसरा पंजीयन में तत्काल सुधार किया जाना था जो कि आज दिनांक तक नहीं किया गया है एवं नहीं किया जा रहा है।

स. यह कि अनुविभागीय अधिकारी दमोह द्वारा अपने पत्र दिनांक 30/05/2012 के द्वारा म0प्र0 पुर्नवास विभाग भोपाल से यह जानकारी चाही गई थी। कोठा क्र. 1 कृष्णामल कोठा क्रमांक 2 हेरूमल कोठा क्र. 3 से 5 शीतलदास कोठा क्र. 6 नारायण दास को एवं कोठा क 7 होरोमल को प्रदाय किया था। एवं अन्य कोठा अन्य व्यक्तियों को जारी किए थे। दस्तावेज (2) इस संबध में अधीनस्थ न्यायालय के बार-बार पत्र जारी किया किन्तु शासन म.प्र के पुर्नवास विभाग द्वारा जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। पुनरीक्षण कर्ता ने भी पुर्नवास विभाग भोपाल के कई चक्कर लगाए माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, शासन भोपाल के समक्ष शिकायत भी दर्ज की प्रकरण को माननीय पुर्नवास विभाग द्वारा संज्ञान में लेते हुए राजस्व निरीक्षक


राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-----

प्रकरण क्रमांक 3369-दो/2015 निगरानी

जिला दमोह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आ हस्ताक्षर
६-११-१६	<p>पूर्व पेशी 24-5-16 को उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने जा चुके हैं। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अतिरिक्त आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 284 अ-6/14-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-9-2015 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ प्रकरण का सारौंश यह है कि आवेदक ने सहायक अधीक्षक भू अभिलेख नजूल नवकरण दमोह के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मौजा दमोह नगर की नजूल शीट क्रमांक 42 प्लॉट नंबर 214/1 में से रकबा 832 वर्गफुट (आगे जिसे वादग्रस्त संपत्ति अंकित किया गया है) पर नामान्तरण किये जाने की प्रार्थना की। सहायक अधीक्षक नजूल नवकरण ने प्रकरण क्रमांक 159 अ-6/2010-11 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 12-9-11 पारित करके आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी, दमोह के समक्ष अपील क्रमांक 27/2011-12 अ-6 प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 19-12-2014 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील क्रमांक 284/अ-6/14-15 प्रस्तुत हुई, जो आदेश दिनांक 14-9-2015 से निरस्त हुई। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई है।</p> <p>3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति इस प्रकार है कि वादग्रस्त संपत्ति को आवेदक ने पुर्नवास अधिनियम 90 (5) एवं नियम 91 (8) के अंतर्गत होना बताया है एवं यह भी बताया है कि भारत सरकार द्वारा सन् 1956 से 1957 के बीच भारत वर्ष में देश विभाजन उपरांत आये सिन्धी शरणार्थियों को व्यवसाय हेतु सेल प्रमाण पत्र जारी करके दुकानें नीलाम कर विक्रीत की गई थी एवं शरणार्थियों का व्यवस्थापन किया गया था। वादग्रस्त संपत्ति भी इसी क्रम में है। प्रकरण में आये</p>	

तथ्यों से यह निर्विवाद है कि दमोह स्थित बारादारी सिविल बार्ड का शीट क्रमांक 42 प्लॉट नंबर 214(1) पर मैनेजिंग आफिसर इन्दौर ने 50 कोठे का तत्समय नक्शा तैयार कराकर एवं स्वीकृत कर विक्रय प्रमाण पत्र जारी किये हैं और यह भूमि विक्रय स्वरूप नीलामी में प्राप्त होने के कारण निजी संपत्ति है।

4/ प्रकरण में यह भी तथ्य सामने आया है कि वादग्रस्त संपत्ति नीलामी में शीतलदास सिन्धी को सन् 1956 से 1957 में मिली थी एवं उसके द्वारा इसी संपत्ति को 27-10-66 को जगरानी को विक्रय कर दिया था और जगरानी द्वारा इसी संपत्ति को सुरेश मोदी को विक्रय किया है और सुरेश मोदी ने वादग्रस्त संपत्ति को आवेदक को दिनांक 3 जून 2011 विक्रय किया है। जहाँ तक वादग्रस्त संपत्ति का नजूल में नामान्तरण न होने का प्रश्न है नामान्तरण मात्र राजस्व अभिलेख अद्वतन रखने की प्रक्रिया है जिसे अद्वतन रखने का दायित्व राजस्व कर्मकारों का है। प्रकरण में मूल आधार यह है कि उप पंजीयकों द्वारा विक्रय पत्र किस आधार पर निष्पादित किये जाते रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा स्वामित्व के अभिलेख के सत्यापन उपरांत ही विक्रय पत्र संपादित किये गये हैं। प्रथम विक्रय पत्र 1956 से 1957 के बीच भारत वर्ष में देश विभाजन उपरांत आये शीतलदास सिन्धी के हित में मैनेजिंग आफिसर इन्दौर ने 50 कोठे का तत्समय नक्शा तैयार कराकर एवं स्वीकृत कर वादग्रस्त संपत्ति का विक्रय प्रमाण पत्र जारी किया है। इसी विक्रय पत्र के आधार पर स्वामित्व प्रमाण पत्र के सत्यापन पर उप पंजीयक ने तत्समय जगरानी के हित में हुये वादग्रस्त संपत्ति के विक्रय पत्र को संपादित किया है। जगरानी द्वारा इसी संपत्ति को सुरेश मोदी को विक्रय किया है तथा सुरेश मोदी के पास संपत्ति आने पर उसके द्वारा आवेदक को संपत्ति पंजीकृत विक्रय पत्र से विक्रय की है। प्रकरण में आये तथ्यों से यह स्पष्ट हो चुका है कि वादग्रस्त संपत्ति वर्ष 1956 से 1957 से निरन्तर निम्नानुसार व्यक्तियों के स्वामित्व एवं कब्जे में रही है :-

वर्ष 1956 से 1957 से शीतलदास सिन्धी

तदुपरांत जगरानी

तदुपरांत सुरेश मोदी

दिनांक 3 जून 2011 से सुबोधकुमार

वर्ष 1956 एवं 1957 को व्यतीत हुये आज की स्थिति में 60 वर्ष हैं अर्थात् 60 वर्ष के अंतराल तक उक्तानुसार व्यक्ति निरन्तर काविज होकर विधिवत् भूमि का

P
1/12

W

अंतरण करते आ रहे हैं जिसके स्वामित्व का सत्यापन म0प्र0शासन के उप पंजीयकों द्वारा विभिन्न विक्रय पत्रों के पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर किया है एवं विक्रय पत्र पंजीयन किये हैं। यह भी विचार योग्य है कि यदि वादग्रस्त संपत्ति नजूल विभाग की अथवा मध्य प्रदेश शासन के स्वामित्व की थी, तब वर्ष 1956 एवं 1957 से राजस्व अधिकारियों ने 60 वर्ष के अंतराल तक वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध अतिक्रमण वावत् कार्यवाही भी नहीं की है। निरन्तर 60 वर्ष से चले आ रहे स्वामित्व की भूमि एवं मैनेजिंग आफिसर इन्दौर द्वारा वर्ष 1956 एवं 1957 में शिन्धी शरणार्थियों को आवंटित भूमि को आज की स्थिति में शासकीय नहीं माना जा सकता और पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर आवेदक द्वारा अर्जित बंध स्वत्वों को अनदेखा भी नहीं किया जा सकता, जब तक कि आवेदक के हित में संपादित विक्रय पत्र दिनांक 3 जून 2011 को सक्षम न्यायालय शून्य घोषित न कर दे। इन्हीं कारणों से आवेदक विक्रय पत्र दिनांक 3 जून 2011 से कच की भूमि पर नामान्तरण कराने का अधिकारी है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 284 अ-6/14-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-9-2015 एवं अनुविभागीय अधिकारी दमोह द्वारा प्रकरण क्रमांक 27 अ-6/11-12 में पारित आदेश दिनांक 19-12-14 तथा सहायक अधीक्षक भू अभिलेख नजूल दमोह द्वारा प्रकरण क्रमांक 159/अ-6/10-11 में पारित आदेश दिनांक 12-9-11 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एवं मौजा दमोह नगर की नजूल शीट क्रमांक 42 प्लॉट नंबर 214/1 में से रकबा 832 वर्गफुट पर विक्रय पत्र के आधार पर आवेदक का नामान्तरण किया जाना स्वीकार किया जाता है।

h
1/4


सर्वस्य